

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, किशनगंज के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)(जिला पदाधिकारी, किशनगंज का स्वीकृत्यादेश संलग्न)07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 210000/- (दो लाख दस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों/लाभुकों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/लाभुक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उष, पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० आसिन लाल सिंह, स्व० सीताराम सिंह, सामान्य	श्रीमती फेको देवी(पत्नी)	260/20.8.18	ग्रा०-महेशबथना, पो०-गाछपाड़ा, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	5034662 8270	इलाहाबाद बैंक, कोल्हा, ALLA0213374	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० लुतफुल हक, श्री मुमताज अली, सामान्य	श्रीमती आकेदा खातुन(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-महीनगांव, पो०-हटवार, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	5011229 9308	इलाहाबाद बैंक, महीनगांव, ALLA0211247	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
3	स्व० ताहीर, स्व० पलानू, सामान्य	श्रीमती फुलो खातुन(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-फुलवस्ती, पो०-चकलाघाट, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	1008191 0300979 40	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, खागड़ा CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
4	स्व० सुजित सदा, स्व० बुधलाल सदा, अनु० जाति	श्रीमती सुनीता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-वलीयाडेगा, पो०-मनोरा, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	5042585 0884	इलाहाबाद बैंक, कोल्हा, ALLA0213374	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
5	स्व० रामरूप महतो, श्री जय नारायण महतो, सामान्य	श्रीमती प्रमिला देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-महेशबथना, पो०-गाछपाड़ा, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	5036962 7496	इलाहाबाद बैंक, कोल्हा, ALLA0213374	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
6	स्व० नसेबुर रहमान, मो० माजोदीन, सामान्य	श्रीमती मोसीना खातुन(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-गीधावस्ती पो०-हटवार, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	1008191 0300368 33	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, खगड़ा CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० बैधनाथ नायक, स्व० योगेन्द्र नायक, सामान्य	श्रीमती जानकी देवी(माता)	तदैव	ग्रा०+पं०+पो०-छतरगाछ, था०-पहाडकट्टा, प्र०-पोठिया, किशनगंज	1007671 0300102 08	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, छतरगाछ, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक

कुल :- ₹ 210000/-

(दो लाख दस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-54/2018 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-54/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-54/2018-430

पटना, दिनांक :- 13-09-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 210000/- (दो लाख दस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, किशनगंज को पत्रांक 260 दिनांक 20.8.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

12/09/18

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

12/09/18

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

12/09/18

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।